सरकार बनाम महावीर प्रसाद

176/1997

दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
24/11/24	13/11/24
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/11/24 को पेश हो।
29/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/1/24 को पेश हो।
29/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अभाव उप० [illegible] पत्रावली है बहस प्रारम्भ [illegible] ग्राम/[illegible] सरकार की ओर से पेश प्रार्थना परिवर्तन स्वीकृत किया जाता है [illegible] निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली नियमानुसार [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय [illegible]

केस 105

[illegible] तहसीलदार, सांगानेर ...प्रार्थी

बनाम

वीर प्रसाद जैन पुत्र श्रीमल जैन निदेशक राजस्थान प्लास्टिक क्राफ्ट एन्ड हैण्डीज लि० महापुरा ...प्रार्थी

[illegible] धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 संशोधित

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 संशोधित के [illegible] प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन निम्न प्रकार से है।

ग्राम महापुरा में स्थित खसरा नम्बर 168/1, 168/2, 168/3 धीमें [illegible] संपत [illegible] रकबा 111 [illegible] शासकीय विभाग [illegible] भूमि नीलाम जमा बन्दी संलग्न है [illegible] खसरा नंबर 168/1, 168/2, 168/3 से कुल भू-प्रबन्ध [illegible] नं० 952 मी०, 953 मी०, 954 मी०, 960 मी० [illegible] 0.13 है० बना है। नक्शा निशान क्षेत्रफल संलग्न है। [illegible] दौरान भू-प्रबन्ध, भू-प्रबन्ध के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने [illegible] अदालत आदेश से, अवैधानिक तरीके से कानून के विपरित खसरा नं० 168/1, 168/2, 168/3 रकबा [illegible] 953 मी० 0.06 है० महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्रीमल जैन निदेशक ही राजस्थान प्लास्टिक क्राफ्ट एन्ड हैण्डीज लि० महापुरा [illegible] खातेदारी दर्ज कर दी गई है।

[illegible] है कि भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों को [illegible] भू-प्रबन्ध के [illegible] करने का कोई अधिकार नहीं है एवं भू-प्रबन्ध के [illegible] कर्मचारियों द्वारा कानून के विपरित अप्रार्थी के नाम [illegible] भूमि खातेदारी दर्ज की गई है वह निरस्त निरस्त होने से [illegible] खातेदारी दर्ज की जानी आवश्यक है।

[illegible] है कि विवादित भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में [illegible] है अतः न्यायालय [illegible] योग्य है।

[illegible] अप्रार्थी के नाम भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अवैध रूप से निर्माण और [illegible] में किया गया इन्द्राज निरस्त किया जाकर ग्राम महापुरा में स्थित [illegible] शासकीय विभाग [illegible] नं० 953 मी० रकबा 0.06 है० [illegible] खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें।

तहसीलदार (भू.प्र.)
सांगानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:49:06 IST
Reason: SelfAttested